Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बारां में आबकारी विभाग का जमादार 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *09 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की बूंदी इकाई द्वारा आज देर रात बारां में कार्यवाही करते हुये **धारा सिंह जाट जमादार, आबकारी थाना, जिला बारां** को परिवादी से **7 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए. सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अवैध शराब की बिक्री के मामले में जब्त मोटरसाईकिल छोडने और केस नहीं बनाने की धमकी देकर आबकारी थाने के पी.ओ. प्रमोद सिंह एवं धारा सिंह जाट जमादार, आबकारी थाना, जिला बारां द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी बूंदी इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी धारा सिंह जाट जमादार, आबकारी बारां, जिला बारां को परिवादी से **7 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोप जमादार द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**